भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1046
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानूनों में मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग

1046# श्री बाबू राम निषादः
श्री शंभू शरण पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों में मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपराधों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम दंड क्या ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): पहली बार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103 (2) और धारा 304 के तहत मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग के नए अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (2) में यह प्रावधान है कि जब एक साथ मिलकर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एक समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 304 में यह प्रावधान है कि चोरी स्नैचिंग की श्रेणी में आएगी, यदि चोरी करने के लिए, अपराधी किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से अचानक या तीव्रता से या जबरन किसी चल संपत्ति को झपट लेता है या अपने कब्जे में ले लेता है या छीन लेता है या ले जाता है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि जो कोई झपटमारी (स्नैचिंग) करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

******